हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. किसी स्थान से भिखारी को हटाना ।
4. किसी भिखारी के उपार्जन पर जीवन निर्वाह करने के लिए दंड ।
5. भिक्षा मंगवाने के लिए बालक या महिला को उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या लेना ।
6. जुर्माने के असंदाय के लिए कारावास का दण्डादेश ।
7. सदाचरण की परिवीक्षा और भिखारी गृह में विरोध ।
8. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति ।
9. अपराधियों के पतों की अधिसूचना ।
10. अपराधों का संज्ञेय और सक्षेपतः विचारणीय होना ।
11. भीख याचना के लिए अभिदर्शित पशुओं का अभिग्रहण और अभिरक्षा ।
12. भिखारी के साथ पाए गए बालक का अभिग्रहण और अभिरक्षा करना।
13. भिखारी गृह ।
14. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
15. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।
16. नियम बनाने की शक्ति ।
17. अन्य विधियों का प्रवर्तन वर्जित नहीं ।

हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979
(1979 का अधिनियम संख्यांक 22)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 30 सितम्बर, 1992 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 20 नवम्बर, 1993 को (पृष्ठ संख्या 2143 से 2153) पर प्रकाशित किया गया)

भिक्षावृत्ति के निवारण, भिक्षुक अपराधियों के हटाने, निरोध और अभिरक्षा, विचारण एवं दण्ड का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

---

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 30 सितम्बर, 1992 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21 नवम्बर, 1993 को पृष्ठ संख्या 2143 से 2153 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे ।

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"भिक्षा"** से कोई चीज, जैसे कि धन, पकाया हुआ या विना पकाया हुआ भोजन, अनाज या कपड़े अथवा भिखारी को निःशुल्क दी गई कोई मूल्यवान वस्तु अभिप्रेत है;

(ख) "भिक्षावृत्ति" से अभिप्रेत है–

(i) किसी बहाने से, लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति ;

(ii) जीवन निर्वाह का कोई दृष्यमान साधन न होना और लोक स्थान में ऐसी दशा या रीति में घूमना या रहना, जिससे यह संभावना हो जाती है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति भिक्षा की याचना या प्राप्ति पर जीवित रहता है ;

(iii) किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से प्रवेश करना ;

(iv) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से चाहे किसी मानव का या किसी जीव–जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना ; या

(v) अपने आप को या किसी अन्य को (अर्थात् बालक या किसी वस्तु, जानवर, पक्षी, सांप आदि)

भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन के लिए प्रदर्शन के रूप में उपयोग में लाना या लाए जाने देना–––

किन्तु इसके अन्तर्गत किसी विधि द्वारा प्राधिकृत या विहित रीति में प्राधिकृत प्रयोजन के लिए धन या भोजन अथवा दान की याचना या प्राप्ति नहीं है ;

(ग) "भखारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है ;

(घ) "बालक" से ऐसा लड़का अभिप्रेत है जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या लड़की जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(ङ) बालक के सम्बन्ध में "संरक्षक" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो बालक के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का संज्ञान करने वाले सक्षम प्राधिकारी की राय में तत्समय उस बालक की वास्तविक तौर पर निगरानी करता है या उस पर नियंत्रण रखता है ;

(च) "माता–पिता" से बालक का पिता या माता अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "लोक स्थान" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा स्थान या उसकी प्रसीमाएं हैं जिसमें, चाहे संदाय पर या अन्यथा, जनता की तत्समय पहुंच है या पहुँच के लिए अनुज्ञात है, और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्रवहण यात्रिबस और रेल का डिब्बा भी है ;

(झ) "विशेष पुलिस अधिकारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पुलिस कर्तव्यों के भारसाधक अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त ऐसा पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

3. किसी स्थान से भिखारी को हटाना.– (1) जब कभी किसी व्यक्ति के बारे में भिक्षावृत्ति करने का अभिकथन किया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट प्राप्त सूचना की सच्चाई के बारे में जांच करेगा और व्यक्ति को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आगे ऐसा साक्ष्य लेगा, जैसा वह ठीक समझे, और यदि ऐसी जांच पर उसे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यक्ति भिक्षावृत्ति करते हुए पाया गया है, तो वह यह कथन अभिलिखित करेगा कि व्यक्ति भिखारी है । मजिस्ट्रेट विहित रीति में जांच करने के पश्चात् यह भी अवधारित करेगा कि क्या व्यक्ति का जन्म हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ था और उसमें अधिवसित है और अपने निष्कर्ष को कथन में सम्मिलित करेगा ।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन की गई जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि उप–धारा (1) के अधीन भिखारी घोषित किए गए ब्यक्ति का न तो हिमाचल प्रदेश राज्य में जन्म हुआ है और न ही यहां अधिवसित है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, और यदि ऐसी जांच पर उसे यह प्रतीत होता है कि यह जनसाधारण के हित में है कि ऐसे व्यक्ति से वहां से स्वयं को हटा लेने की अपेक्षा की जानी चाहिए और उसी स्थान पर पुनः प्रवेश के लिए प्रतिषिद्ध किया जाए, तो मजिस्ट्रेट, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में उस व्यक्ति को संसूचित लिखित आदेश द्वारा उस तारीख के पश्चात् (जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी) जो आदेश की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी, उससे उस स्थान से ऐसे स्थान को हटने की अपेक्षा करेगा, चाहे वह उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो

या बाहर, और ऐसे मार्ग या मार्गों द्वारा और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसे ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान में पुनः प्रवेश करने से भी प्रतिषिद्ध करेगा ।

(3) जो कोई भी :

(क) उप–धारा (2) के अधीन जारी किए गए आदेश का, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अनुपालन करने में असफल रहता है या जब तक उसे किसी स्थान में, बिना अनुज्ञा के पुनः प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश प्रवृत्त है, ऐसी अनुज्ञा के बिना उस स्थान में पुनः प्रवेश करता है/करती है, या

(ख) यह जानते हुए कि, किसी व्यक्ति से उप–धारा (2) के अधीन उस स्थान से स्वयं को हटाने की अपेक्षा की गई है और उसने उस स्थान में पुनः प्रवेश करने के लिए अपेक्षित अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्ति को उस स्थान में संश्रय देता है या छुपाता है, निम्नलिखित से दण्डनीय होगा, –––

(i) प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से; और

(ii) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि कम से कम तीन मास की होगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा; और

(iii) जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान पहले अपराध के पश्चात् ऐसा व्यक्ति अपराध करता रहा हो, बीस रुपये तक का हो सकेगा :

परन्तु इस उप–धारा के उप–खण्ड (ii) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त कारणों के लिए, तीन मास से कम के कारावास का दण्डादेश पारित किया जा सकेगा ।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन की गई जांच के दौरान, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि उप–धारा (1) के अधीन भिखारी घोषित किए गए व्यक्ति का या तो हिमाचल प्रदेश राज्य में जन्म हुआ है या अधिवसित है अथवा उप–धारा (2) के अधीन उसको हटाने का आदेश जनसाधारण के हित में नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, ऐसे भिखारी को निम्नलिखित दण्ड देगा,–––

(क) प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा :

परन्तु इस उप–धारा के उप–खण्ड (ख) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में न्यायालय के निर्णय में विशेष और पर्याप्त कारणों को उल्लिखित करते हुए, तीन मास से कम के कारावास का दण्डादेश पारित किया जा सकेगा ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति जिसे उप–धारा (1) के अधीन भिखारी घोषित किया जाता है, बालक है, तो, यथास्थिति, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पूर्वी पंजाब बालक अधिनियम, 1949 (1949 का 39) या प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त बालक अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी ।

4. किसी भिखारी के उपार्जन पर जीवन निर्वाह करने के लिए दण्ड.— (1) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो जानते हुए, पूर्णतः या भागतः, भिखारी के उपार्जन पर जीवन–निर्वाह करता है प्रथम दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के अधीन द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती किसी अपराध की दोषसिद्धि की दशा में व्यक्ति, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, न्यायालय के निर्णय में विशेष और पर्याप्त कारणों को उल्लिखित करते हुए, तीन मास से कम के कारावास का दण्डादेश पारित किया जा सकेगा ।

(3) जहां यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ———

(क) किसी भिखारी के साथ रह रहा है या अभ्यासतः संगति में होता है; या

(ख) किसी भिखारी के संचालनों पर इस प्रकार नियंत्रण, निदेश या असर का प्रयोग किया है जिससे पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति उसे ऐसा होने के लिए सहायता, दुष्प्रेरण या विवश कर रहा है ; या

(ग) किसी भिखारी की ओर से दलाल का कार्य कर रहा है; या

(घ) किसी व्यक्ति को भीख मांगने के लिए नियोजित कर रहा है या उससे भीख मंगवा रहा है ;

(ङ) किसी बालक को जिसकी अभिरक्षा, भारसाधन या देखरेख ऐसे व्यक्ति के पास है भिक्षावृत्ति के लिए मौनानुकूलित या प्रोत्साहित किया है ; या

(च) भीख मांगने के प्रयोजनार्थ किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शन के रूप में प्रयोग किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत किसी भिखारी के उपार्जन पर जीवन निर्वाह कर रहा है ।

5. भिक्षा मंगवाने के लिए बालक या महिला को उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या लेना.– (1) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो ––

(क) भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, चाहे सम्मत्ति सहित या रहित किसी बालक या महिला को उपाप्त या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है ; या

(ख) किसी स्थान से बालक या महिला को इस आशय के साथ जाने के लिएउत्प्रेरित करता है कि ऐसा बालक या महिला भिखारी बन जाए ; या

(ग) एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिक्षावृत्ति करने या भिक्षावृत्ति करने के लिए पाले जाने की दृष्टि से किसी बालक या महिला को ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है अथवा किसी बालक या महिला को ले जाने के लिए कारित करता है ; या

(घ) किसी बालक या महिला को भिक्षावृत्ति जारी रखने के लिए कारित या उत्प्रेरित करता है ;

प्रथम दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपराध के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, व्यक्ति कठोर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, न्यायालय के निर्णय में विशेष और पर्याप्त कारणों को उल्लिखित करते हुए तीन मास से कम के कारावास का दण्डादेश पारित किया जा सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध निम्नलिखित स्थानों पर विचारणीय होगा––

(क) उस स्थान पर जहां से बालक या महिला को उपाप्त किया जाता है, जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, ले जाया जाता है या ले जाने के लिए कारित किया जाता है, अथवा जहां से ऐसे बालक या महिला को उपाप्त करने का या ले जाने का प्रयत्न किया जाता है ; या

(ख) उस स्थान पर जहाँ उत्प्रेरण के फलस्वरूप वह गया/गई हो या जिसको वह ले जाया/जाई गई या ले जाने के लिए कारित किया जाता है/की जाती है अथवा उसे ले जाने का प्रयत्न किया गया है ।

6. जुर्माने के असंदाय के लिए कारावास का दण्डादेश.— कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय अपराध के प्रत्येक मामले में, जिसमें अपराधी को, चाहे कारावास सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट किया गया है, और कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध के प्रत्येक मामले में, जिसमें अपराधी को जुर्माने से दण्डादिष्ट किया गया है, उनमें न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देता है, दण्डादेश द्वारा यह निदेश देने को सक्षम होगा कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में यदि अपराध कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय हो, अपराधी कारावास की उस अवधि के एक चौथाई से अनधिक के लिए कारावास भोगेगा जो अपराध के लिए अधिकम नियत है, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए उसे दण्डादिष्ट किया गया होता या जिसके लिए वह दण्डादेश के लघुकरण के अधीन दण्डनीय हो ।

7. सदाचरण की परिवीक्षा और भिखारी गृह में विरोध.— (1) (क) धारा 3 के अधीन प्रथम बार किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति की आयु, चरित्र, पूर्व वृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें अपराध किया गया था, उस न्यायालय द्वारा, जिसके समक्ष उसे सिद्धदोष ठहराया जाता है, (1974 का 2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 की उप–धारा (1) और (2) में उपबन्धित रीति में सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकेगा ।

(ख) धारा 3 के अधीन प्रथम बार किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें अपराध किया गया था, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 की उप–धारा (3) में उपबन्धित रीति में भर्त्सना सहित भी छोड़ा जा सकेगा ।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 की उप–धाराओं (4), (5), (6), (7), (8), (9), और (10) के उपबन्ध, खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मामलों में लागू होंगें ।

(2) जहां बालक या महिला को धारा 3 के अधीन अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है, और उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सदाचारण की परिवीक्षा पर या उस उप–धारा के खण्ड (ख) के अधीन भर्त्सना सहित छोड़ा नहीं जाता है, वहां बालक या महिला को दोषसिद्ध ठहराने वाला न्यायालय, यथास्थिति, बालक या महिला की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया गया था ध्यान में रखते हुए, कारावास या

जर्माने के दण्डादेश के बदले में भिखारी गृह में रोक रखने का दण्डादेश पारित कर सकेगा ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 या धारा 5 के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर या भर्त्सना सहित छोड़ा नहीं जाएगा ।

8. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति.— (1) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय यह पाता है कि वह इस अधिनियन के अधीन उस अपराध को या किसी अन्य अपराध को अभ्यासतः करता रहा है या करने का प्रयत्न करता रहा है, अथवा करने का दुष्प्रेरण करता रहा है, और न्यायालय की यह राय है कि उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करना आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय जो व्यक्ति पर दण्डादेश पारित करते समय उसे ऐसी अवधि के दौरान जो तीन वर्ष से अनधिक हो, जैसी यह उचित समझे, उसके साधनों के अनुपातिक राशि के लिए प्रतिभू सहित या रहित सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकेगा ।

(2) यदि दोषसिद्धि की अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दिया जाता है, तो निष्पादित किया गया बन्धपत्र शून्य हो जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपनी पुनरीक्षण को शक्तियों का प्रयोग करते समय अपील न्यायालय या उच्चन्यायालय द्वारा भी ऐसा आदेश किया जा सकेगा ।

9. अपराधियों के पतों की अधिसूचना.— (1) जब किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो ऐसा न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति पर कारावास का दण्डादेश पारित करते समय, यह भी आदेश दे सकेगा कि उसके निवास–स्थान और ऐसे निवास स्थान में कोई परिवर्तन या उससे अनुपस्थिति, छोड़ा जाने के पश्चात् उस दण्डादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, अधिसूचित की जाएगी ।

(2) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है, तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा ।

(3) अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपील न्यायालय का उच्च न्यायालय द्वारा भी इस धारा के अधीन ऐसा आदेश किया जा सकेगा ।

(4) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी नियम के भंग के लिए आरोपित किसी व्यक्ति का सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे क्षेत्र में जिसमें उसके निवास– स्थान के रूप में अधिसूचित अन्तिम स्थान स्थित है, विचारण किया जा सकेगा ।

10. अपराधों का संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय होना.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक

अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे प्रत्येक अपराध का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः विचारण किया जाएगा :

परन्तु संहिता में किसी बात के होते हुए भी,———

(i) बिना वारण्ट के गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके निदेश या मार्ग दर्शन अथवा उसके पूर्व अनुमोदन के अधीन की जाएगी ;

(ii) जब विशेष पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से, उसके अपनी उपस्थिति से अन्यथा वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तो वह उस अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की जा रही है को विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित आदेश देगा, और पश्चात् कथित अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे आदेश के सार की सूचना देगा और, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, उसे आदेश भी दिखाएगा ;

(iii) विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि विशेष पुलिस अधिकारी से आदेश अभिप्राप्त करने में अन्तर्वलित देरी के कारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट या छिपाया जाना संभाव्य है अथवा उस व्यक्ति के जिसने अपराध किया है या जिस पर करने का संदेह है निकल भागने की संभावना है अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम व पता ज्ञात नहीं है या यह संदेह करने का कारण है कि मिथ्या नाम या पता दिया गया है तो सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, किन्तु ऐसे मामले में वह यथाशक्यशीघ्र गिरफ्तारी और उन परिस्थितियों को जिनमें गिरफ्तारी की गई थी की रिपोर्ट विशेष पुलिस अधिकारी को देगा ।

11. भीख याचना के लिए अभिदर्शित पशुओं का अभिग्रहण और अभिरक्षा.— (1) विशेष पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस अधिकारी के निदेशों के अधीन या धारा 10 के तृतीय परन्तुक में दी गई परिस्थितियों में कार्य करता हुआ उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला अन्य पुलिस अधिकारी, जिसे भीख मांगते हुए पाया जाता है, किसी पशु का जिसका व्रर्ण, घाव, चोट, अंगविकार या बीमारी को ऐसे व्यक्ति द्वारा भीख मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्छन या अभिदर्शित किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगा ।

2. उप—धारा (1) के अधीन अभिग्रहण करने वाला पुलिस अधिकारी, ऐसे पशु को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 35 के अधीन स्थापित किसी रुग्णावास में, इस धारा की उप—धारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश लम्बित होने तक, निरोध के लिए भेज सकेगा ।

(3) वह मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष भीख मांगते हुए पाए गए व्यक्ति को लाया जाता है, यह निदेश दे सकेगा कि पशु की तब तक ऐसे रुग्णावास में उपचार और देख रेख की जाएगी जब तक यह मुक्त किए जाने के योग्य नहीं हो जाता है या इसे पिन्जरापोल में भेजा जाएगा, अथवा यदि उस क्षेत्र, जिसमें पशु पाया गया है, का पशु चिकित्सा भारसाधक अधिकारी या ऐसा अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी जिसे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्राधिकृत किया गया है यह प्रमाणित करता है कि वह असाध्य है या क्रूरता के बिना रोगमुक्त नहीं किया जा सकता है और इसे नष्ट किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट यह आदेश भी दे सकेगा कि रुग्णावास से मुफ्त किए जाने के पश्चात् पशु का अधिहरण कर लिया जाए ।

(4) रुग्णाबाम में उपचार या देखरेख के लिए भेजा गया कोई पशु, जब तक मजिस्ट्रेट अन्यथा आदेश न दे, ऐसे स्थान से, जिसमें रुग्णावास स्थित है उस क्षेत्र के पशु चिकित्सा भारसाधक अधिकारी या ऐसे अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी के जिसे पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्राधिकृत किए गया है इसे मुक्त किए जाने के लिए इसके स्वस्थता के प्रमाण पत्र जारी किए जाने के सिवाय निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ।

12. भिखारी के साथ पाए गए बालक का अभिग्रहण और अभिरक्षा करना.– (1) विशेष पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस अधिकारी के निर्देशों के अधीन अथवा धारा 10 के तृतीय परन्तुक में वर्णित परिस्थितियों में कार्यरत कोई अन्य पुलिस अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ पाए गए किसी बालक या महिला को, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा भीख मांगने के प्रयोजन के लिए उपाप्त, उत्प्रेरित या ले जाया गया हो, अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा और, यथास्थिति, उक्त बालक या महिला को भिखारी–गृह को भेजेगा या भिजवाएगा ।

(2) भिखारी–गृह का भारसाधक, यथास्थिति, बालक या महिला की देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा, और उस बालक या महिला को मुकद्दमें के विचारण के दौरान जब भी अपेक्षित हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा या पेश करवाएगा । मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के बाद जैसी वह उचित समझे, ऐसा आदेश देगा कि ऐसे बालक या महिला को ऐसी अवधि के लिए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, भिखारी गृह में या ऐसी अन्य अभिरक्षा में जिसे यह उचित समझे, निरुद्ध रखा जाए :

परन्तु ऐसी अभिरक्षा ऐसे बालक या महिला, जिनकी देखभाल करनी है, से भिन्न किसी धार्मिक आस्था वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति–निकाय की नहीं होगी ।

(3) जब भी यह स्थापित हो जाता है कि वह व्यक्ति जिनकी अभिरक्षा इस अधिनियम के अधीन भिखारी गृह को सौंपी गई है, उठाया गया बालक है, तो मंजिस्ट्रेट, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे और ऐसे बालक के माता–पिता के सही होने के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात्ा ऐसे बालक को इस शर्त के साथ, कि उक्त बालक की उचित देख–भाल और पालन–पोषण किया जाएगा, उसके माता–पिता या

विधिक अभिरक्षक को प्रत्यावर्तित करेगा और जब भी अपेक्षित हो उसके समक्ष पेश किया जाएगा ।

(4) उप–धारा (2) या (3) के अधीन प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायाधीश को होगी, जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

13. भिखारी गृह.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने विवेकाधिकार से इतने भिखारी गृह स्थापित कर सकेंगी, जितने वह ठीक समझे, और ऐसे गृह, जब स्थापित हो जाएं, ऐसी रीति में रखे जाएंगे जैसी विहित की जाए ।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी अधिरोपित करना यह ठीक समझे, सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा चलाई जा रही किसी संख्या को "बालक गृह" "अनाथ–गृह" के रूप में घोषित कर सकेगी, और ऐसी घोषणा पर, उक्त गृह या संस्था इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया भिखारी गृह समझा जाएगा :

परन्तु ऐसी कोई शर्त यह अपेक्षा कर सकेगी कि भिखारी गृह का प्रबंध, जहां साध्य हो, किसी महिला को सौंपा जाएगा ।

14. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.– इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों में निहित या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.– यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकेंगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो इसे ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

16. नियम बनाने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे–––

(क) धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन किसी प्रयोजन को प्राधिकृत करने की रीति ;

(ख) वह रीति जिसमें सिद्धदोष के निवास–स्थान और निवास–स्थान में किसी परिवर्तन को धारा 9 के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है ।

(ग) वह रीति जिसमें धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित भिखारी–गृहों को बनाए रखा जाना है ;

(घ) वे शर्तें जिन के अधीन रहते हुए धारा 13 की उप–धारा (2) के अधीन, संस्थाओं को भिखारी गृह के रूप में घोषित किया जा सकेगा ;

(ङ) कोई अन्य विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

17. अन्य विधियों का प्रवर्तन वर्जित नहीं.– इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति को, किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्य या लोप के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता हो, अभियोजित किए जाने से या ऐसी किसी अन्य विधि के अधीन, इन उपबन्धों द्वारा उपबन्धित से उच्चतर दण्ड या शास्ति के लिए दायी होने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।